प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

गणमान्य: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा व
माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगन।

रिट अपील क्रमांक **95/ 2011**

हरीशचंद्र साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

आदेश

विचारार्थ

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-
राधेश्याम शर्मा
न्यायाधीश

आदेश के लिए 9/01/2012 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-
6/01/2012

<u>छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

कोरमः माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा व

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगन।

<u>रिट अपील क्रमांक **95/2011**</u>

<u>अपीलार्थी</u> **1.** हरीशचंद्र साहू, पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद साहू, उम्र लगभग 30 वर्ष, पेशा ग्राम रोजगार सहायक, निवासी ग्राम-पावनी, ब्लॉक- बिलाईगढ़, जिला- रायपुर (छत्तीसगढ़)

<u>बनाम</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रत्यर्थीगण</u>

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर, बलौदा बाजार, जिला- रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. अतिरिक्त कलेक्टर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बिलाईगढ़, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

<u>**(छत्तीसगढ उच्च न्यायालय (खंडन्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के तहत रिट अपील)**</u>

<u>उपस्थितिः</u>

अपीलार्थी के लिए श्री संदीप दुबे, अधिवक्ता।

राज्य/ प्रतिवादीगण के लिए श्री राजेंद्र त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

<u>(09.01.2012)</u>

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश <u>सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति</u> द्वारा सुनाया गया।

(1) यह अपील दिनांक 10 फरवरी, 2011 को डब्ल्यूपी (एस) क्रमांक 6792, 2010 में पारित आदेश के विरुद्ध है। इस आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को रिट न्यायलयने खारिज कर दिया है और अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को हटाए जाने के आदेश दिनांक 7.6.2010 (प्रदर्श-पी/1) के साथ-साथ उक्त आदेश की पुष्टि करने वाले अपीलीय आदेश यानी दिनांक 11.10.2010 (प्रदर्श-पी/2) को बरकरार रखा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) अपीलार्थी/ याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 15.5.2007 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर रोज़गार सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था. उसके बाद उसकी सेवाओं को समय-समय पर बढ़ाया गया. 13.5.2010 को अपीलार्थी को कुछ वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित नोटिस दिया गया था. उसे 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया था. अपीलार्थी ने 15.5.2010 को अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए स्पष्टीकरण दाखिल किया. अपीलार्थी ने रिट न्यायलयके समक्ष तर्क दिया कि उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया और हटाए जाने का आक्षेपित आदेश दिनांक 7.6.2010 पारित किया गया. यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित आदेश दंडात्मक था, इसलिए सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था।

(3) रिट न्यायलयने माना कि दिनांक 13.5.2010 का नोटिस सेवा से हटाए जाने के लिए नहीं था, बल्कि अपीलार्थी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने के

लिए था; हटाए जाने का आदेश दिनांक 7.6.2010 दिनांक 13.5.2010 के नोटिस के अनुसरण में पारित नहीं हुआ प्रतीत होता है; अतिरिक्त कलेक्टर ने अपील में पूरे मुद्दे पर विस्तार से विचार किया; अपीलार्थी संविदा पर नियुक्त होने के कारण नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण, निरंतरता या सेवा में बहाली का दावा नहीं कर सकता था जो एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी थी; इसलिए, रिट न्यायलयने सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी **(3)** और अन्य, **(2006) 4** एस. एस. सी. **1** सहित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए, रिट याचिका खारिज कर दी।

(4) अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप दुबे ने तर्क दिया कि हटाए जाने का आदेश दंडात्मक प्रकृति का है; यदि अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाता, तो वह हटाए जाने का आदेश पारित करने के आधार बनाए गए कारणों को समझा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री राजेंद्र त्रिपाठी ने इन तर्कों का विरोध किया और रिट न्यायलयद्वारा पारित आदेश का समर्थन किया।

(6) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ को विस्तार से सुना है और रिट याचिका के अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

(7) दिनांक 7.6.2010 का आदेश (रिट याचिका में प्रदर्श-पी/1) यह दर्शाता है कि अपीलार्थी, जो एक संविदा कर्मचारी था, को इस आधार पर हटा दिया गया था कि वह रोजगार सहायक की साप्ताहिक बैठक में लगातार अनुपस्थित रहा। दूसरा आधार यह था कि उसने पंचायत कार्य में लगे श्रमिकों के भुगतान में अनावश्यक देरी की और तीसरा आधार यह था कि वह ग्राम सूराज

अभियान में अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया जवाब रिट न्यायलयके अभिलेख में प्रदर्श-पी/9 के रूप में रखा गया है। अपने जवाब में, पहले आरोप के लिए अपीलार्थी ने कहा है कि उसकी तबियत ठीक नहीं थी और उसका इलाज चल रहा था, इसलिए वह बैठकों में उपस्थित नहीं हो सका। श्रमिकों को भुगतान में देरी के बारे में, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि श्रमिकों के बैंक खाते समय पर खोले गए थे और आरोप झूठे हैं। तीसरे आधार के बारे में जवाब में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है। अभिलेख के अवलोकन के बाद, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया कि रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों को भुगतान के लिए ₹1,64,747/- का एक चेक जारी किया गया था, जिसे अपीलार्थी द्वारा लंबी अवधि तक जमा नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थी को जारी किया गया चेक उसी वित्तीय वर्ष में जमा नहीं किया गया था। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को हटाना दिनांक 13.5.2010 के नोटिस के अनुसरण में नहीं था, बल्कि दिनांक 7.6.2010 के निष्कासन आदेश और दिनांक 11.10.2010 के अपीलीय आदेश में दिए गए आधारों पर था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(8) स्वीकृत रूप से अपीलार्थी एक संविदा कर्मचारी था। हालांकि वह 7.6.2010 (हटाए जाने की तारीख तक) तक काम कर रहा था, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है कि अंतिम अनुबंध या अंतिम आदेश के अनुसार अपीलार्थी के रोजगार की विस्तारित अवधि क्या थी। हमने श्री दुबे से भी तर्क के दौरान पूछा था कि आदेश दिनांक 7.6.2010 पारित होने की तारीख को अपीलार्थी की अनुबंध नियुक्ति की कितनी अवधि शेष थी, लेकिन वह इसे बताने में असमर्थ थे। इसलिए, इस न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि अब किसी अवधि की नियुक्ति अभी बाकी है या नहीं। जैसा भी हो, लेकिन हम पाते हैं कि एक अनुबंध कर्मचारी की सेवाएं उपरोक्त आधारों पर समाप्त की जा सकती थीं और नोटिस या जांच के कारण आदेश में कोई गलती नहीं पाई जा सकती।

(9) जहां तक कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का अवसर देने का संबंध है, उच्चतम न्यायलयने <u>मणिपुर राज्य व अन्य-बनाम- वाई. टोकन सिंह व अन्य, **2007** एआईआर एससीडब्ल्यू **1995,**</u> अनुच्छेद-22 के माध्यम से कहा कि जहां तथ्य स्वीकार किए जाते हैं, वहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं थी, खासकर जब वही निरर्थक हो जाता। यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा उसे जारी किए गए नोटिस के जवाब में दायर किए गए जवाब के आधार पर भी, वह बैठकों में भाग न लेने, समय पर भुगतान न करने और ग्राम सुराज अभियान में अनुपस्थित रहने के आरोपों के खिलाफ उचित कारण नहीं दिखा सका। अपीलार्थी ने बीमारी का अभिवाक लिया है। इससे तब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा जब तक बीमारी के कारण छुट्टी के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया जाता। इसलिए, यह एक ऐसा मामला होगा जिसमें स्वीकृत स्थिति में सेवा से हटाया गया और ऐसे मामले में, यदि बिंदुवार नोटिस जारी नहीं किया गया था, तो इससे आदेश की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तथ्य स्वीकार किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) जहां तक आदेश के दंडात्मक होने से संबंधित तर्क का संबंध है, <u>मैथ्यू पी. थॉमस -बनाम- केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, **(2003) 3** एससीसी **263**</u> में, उच्चतम न्यायलय ने माना कि क्या बर्खास्तगी का सिम्पलीसिटर आदेश है या दंडात्मक स्वरुप का, यह अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना है। पी. नवनेंद्र नारायण वर्मा -बनाम- संजय गांधी पीजीआई ऑफ मेडिकल साइंसेज, (2002) 1 एससीसी 520, में उच्चतम न्यायलय को यह निर्धारित करने का अवसर मिला था कि उसमें आरोपित आदेश सेवाओं की समाप्ति का एक साधारण आदेश था या कलंकात्मक आदेश। उच्चतम न्यायलय द्वारा अनुच्छेद-21 में निम्नानुसार कहा गया था:-

"21. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सार में समाप्ति का आदेश दंडात्मक है, न्यायिक रूप से विकसित परीक्षणों में से एक यह देखना है कि क्या समाप्ति से पहले (ए) एक पूर्ण पैमाने पर औपचारिक जांच (बी) नैतिक अधमता या कदाचार से जुड़े आरोपों की थी जो (सी) दोषी पाए जाने में परिणत हुई। यदि तीनों कारक मौजूद हैं, तो समाप्ति आदेश के रूप की परवाह किए बिना समाप्ति को दंडात्मक माना गया है। इसके विपरीत यदि तीनों कारकों में से कोई भी एक गायब है, तो समाप्ति को बरकरार रखा गया है।"

(11) उपरोक्त निर्णयों और कई अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायलयने <u>चैतन्य प्रकाश और अन्य बनाम एच. ओमकारप्पा, **(2010) 2** एससीसी **623**</u>, में माना कि असंतोषजनक सेवा के लिए परिवीक्षा के दौरान समाप्ति के आदेश को कलंकित नहीं कहा जा सकता है। क्या अयोग्यता के कारण साधारण समाप्ति है न कि कदाचार के लिए दंड के कारण, आदेश को दंडात्मक नहीं माना जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) प्रस्तुत प्रकरण में जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलार्थी एक संविदा कर्मचारी था। वास्तव में, उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं, इसलिए संविदा नियुक्ति के दौरान उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। कदाचार के कोई आरोप नहीं हैं और अपीलार्थी पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया गया है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि आदेश दंडात्मक था। यह एक संविदा कर्मचारी की असंतोषजनक सेवा के कारण सेवा समाप्ति का सीधा आदेश था और इस आधार पर तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(13) उपरोक्त कारणों से, हमें अपील में कोई बल नहीं मिलता। इसलिए अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(14) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित/-	**हस्ताक्षरित/-**
सुनील कुमार सिन्हा	**राधे श्याम शर्मा**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Translated by: Priti Rout